न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 87 / 2025	2025 / 281	22–05–2025	17.9.2025

1–सरकार जर्ये उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1–मैसर्स Sharma Brothers Pvt. Ltd. E-91, Phase-I, Ricco Industrial, Area Bhiwadi Khairthal-Tijara प्रतिनिधी अनुज शर्मा पुत्र स्व0 केदारनाथ शर्मा जाति ब्राहम्मण निवासी साउथ दिल्ली।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 क्लोज 19, 21 एवं 25 के तहत परिवाद

उपस्थितः–

1–विभागीय प्रतिनिधि — उपस्थित

2–अप्रार्थी के प्रतिनिधी — उपस्थित

––:: निर्णय ::––

डॉ0 राजेन्द्र कुमार उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 क्लोज 19, 21 एवं 25 के अन्तर्गत संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया 314 x 50 किग्रा0 (15.70 m.t. x50 bage) को जप्त किया गया है। जप्त शुदा नीम कोटेड यूरिया (314 x 50 bage) का निस्तारण किये जाने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 20.05.2025 को कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के पत्राक 3673–75 दिनाक 16.05.2025 एवं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खैरथल–तिजारा के द्वारा गठित दल द्वारा रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, भिवाडी में फर्म / कम्पनी sharma brothers pvt. Ltd. E-91, phase-I, ricco industrial, area bhiwadi khairthal tijara का शिकायत के आधार पर औचिक निरीक्षण कर फैक्ट्री में संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया पाये जाने पर टीम द्वारा उक्त औधोगिक प्रयोग यूरिया जिसको फर्म मै0 sharma brothers द्वारा फर्म मै0 hics tradex llp, 105/a,1st floor, 21 century plaza, dda cmmunity centre, sector-8, rohini, delhi के बिल ईनवाईस क्रमाक htl / 2024–25 / 350 दिनाक 10.122024 से खरीदा गया है, जो कि मानक स्टेन्डर्ड जिसमे उत्पादन एंव विपणनकर्ता का कोई विवरण अंकन नही होने के कारण उक्त नीम कोटेड यूरिया को संदेहजनक माना जाकर नमूना आहरित किया गया। जिसका नमूना Rje/f/2025-26/003 है। जिसको राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला मे जॉच हेतु भिजवाया है। टीम के सदस्य विजय सिंह संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खैरथल–तिजारा के साथ गठित टीम द्वारा दिनाक 20.05.2025 को लगभग सांय 02.45 बजे मौके पर जाकर उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की जप्ती मात्रा (314 x 50 bage)(15.70 m.t. x50

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

bage) टीम के सदस्यो के साथ मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गयी। फर्म के प्रतिनिधी से चर्चा कर अस्थाई रूप से फर्म के परिसर में ही कम्पनी की अभिरक्षा में रखवाया गया। फर्म के प्रतिनिधि समर्थ शर्मा को सुपुर्दगी में दिया जाकर रसीद प्राप्त की गयी। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लोज 19, 21 व 25 के तहत उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की दिनाक 20.05.2025 को जप्ती की गयी। प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा नीम कोटेड यूरिया (314 x 50 bage)(15.70 m.t. x50 bage) का निस्तारण किये जावे।

अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया है, अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी के द्वारा अपने कथन में अंकित किया गया है, कि अप्रार्थी के विरूद्व की गयी शिकायत निराधार है, प्रकरण में वर्णित सामग्री वास्तव में आयातित औधोगिक/तकनीकी ग्रेड यूरिया है, जिसका उत्पादन/निर्माण संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हुआ है, यह भारतीय मूल का नही है और इसे यूएई और भारत दोनो से संबंधित विभागो द्वारा कस्टम क्लियरेंस दिया गया है, तथा इस पर सभी आवश्यक शुल्क और कर चुकाए गये है। आयातित औधोगिक/तकनीकी ग्रेड यूरिया को संयुक्त अरब अमीरात में आगू नियामक मानदंडो के अनुसार विधिवत पैक और लेबल किया गया है, और संरचना, रूप और प्रकृति औधोगिक/तकनीकी ग्रेड यूरिया के लिए अंतरास्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विनिर्देशो के अनुरूप है। अतः विचाराधीन सामग्री संयुक्त अरब अमीरात से निर्यात की गयी अपनी मूल पैकिग मे उपलब्ध है और भारतीय सीमा शुल्क विभाग/अधिकारियो द्वारा संबंधित बंदरगाह पर बताए गये मानदंडो के अनुसार मंजूरी दी गयी है, इस प्रकार यह भारत में बिक्री और उपयोग के मानको के अनुरूप है। चूंकी विचाराधीन सामग्री भारत में निर्मित नही की गयी है, इस लिए उक्त सामग्री पर प्रतिवादी द्वारा कोई सब्सिडी का दावा नही किया गया है, या केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान नही की गयी है। नमूना संग्रह के समय और मामला दर्ज करने से पहले शिकायतकर्ता को उत्पति और भुगतान किये गये दस्तावेज के प्रमाण प्रदान किये गये है।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया है, कि दिनाक 20.05.2025 को कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के पत्राक 3673–75 दिनाक 16.05.2025 एवं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खैरथल–तिजारा के द्वारा गठित दल द्वारा रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, भिवाडी में फर्म/कम्पनी sharma brothers pvt. Ltd. E-91, phase-I, ricco industrial, area bhiwadi khairthal tijara का औचिक निरीक्षण कर फैक्ट्री में संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया पाये जाने पर टीम द्वारा उक्त औधोगिक प्रयोग यूरिया जो कि मानक स्टेन्डर्ड जिसमे उत्पादन एंव विपणनकर्ता का कोई विवरण अंकन नही होने के कारण उक्त नीम कोटेड यूरिया को संदेहजनक माना जाकर नमूना आहरित किया गया। जिसका नमूना Rje/f/2025-26/003 है। जिसको राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला मे जॉच हेतु भिजवाया है। टीम के सदस्य विजय सिंह संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खैरथल–तिजारा के साथ गठित टीम द्वारा दिनाक 02.45 को लगभग सांय 2.45 बजे मौके पर जाकर उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की जप्ती मात्रा (314 x 50 bage)(15. 70 m.t. x50 bage) टीम के सदस्यो के साथ मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गयी। फर्म के प्रतिनिधी से चर्चा कर अस्थाई रूप से फर्म के परिसर में ही कम्पनी की अभिरक्षा में फर्म के प्रतिनिधि समर्थ शर्मा को सुपुर्दगी में दिया गया। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लोज 19, 21 व 25 के तहत उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की दिनाक 20.05.2025 को जप्ती की गयी। प्रकरण का विधिवत निस्तारण करने की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थी द्वारा पेश किये जवाब में अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है, कि उत्पादन एंव विपणनकर्ता का कोई विवरण अंकन नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव विभागीय प्रतिनिधी की बहस का मनन किया। उर्वरक निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 20.05.2025 को कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के पत्राक 3673–75 दिनाक 16.05.2025 एवं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खैरथल–तिजारा के द्वारा गठित दल द्वारा रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, भिवाडी में फर्म/कम्पनी sharma brothers pvt. Ltd. E-91, phase-I, ricco industrial, area bhiwadi khairthal tijara का

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

औचिक निरीक्षण कर फैक्ट्री में संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया पाये जाने पर टीम द्वारा उक्त औधोगिक प्रयोग यूरिया जो कि मानक स्टेन्डर्ड जिसमे उत्पादन एंव विपणनकर्ता का कोई विवरण अंकन नही होने के कारण उक्त नीम कोटेड यूरिया को संदेहजनक माना जाकर नमूना आहरित किया गया। जिसका नमूना Rje/f/2025-26/003 है। जिसको राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला मे जॉच हेतु भिजवाया है। टीम के सदस्य विजय सिंह संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खैरथल–तिजारा के साथ गठित टीम द्वारा दिनाक 20.05.2025 को लगभग सांय 2.45 बजे मौके पर जाकर उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की जप्ती मात्रा (314 x 50 bage)(15.70 m.t. x50 bage) टीम के सदस्यो के साथ मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गयी। फर्म के प्रतिनिधी से चर्चा कर अस्थाई रूप से फर्म के परिसर में ही कम्पनी की अभिरक्षा में रखवाया गया। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लोज 19, 21 व 25 के तहत उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की दिनाक 20.05.2025 को जप्ती की गयी। अप्रार्थी द्वारा पेश किये जवाब में अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है, कि उत्पादन एंव विपणनकर्ता का कोई विवरण अंकन नही है। उर्वरक निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा द्वारा विधिवत जॉच कर विधिक प्रावधानुसार संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की जप्ती मात्रा (314 x 50 bage)(15.70 m.t. x50 bage) जप्ती की कार्यवाही की गयी है, ऐसी स्थिति में उर्वरक निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उर्वरक निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है, प्रकरण में संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की जप्ती मात्रा (314 x 50 bage) (15.70 m.t. x50 bage) को अस्थाई रूप से फर्म के परिसर में ही कम्पनी की अभिरक्षा में रखवाया गया, से वापिस प्राप्त कर नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण की कार्यवाही की जावे। संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की जप्ती मात्रा (314 x 50 bage) (15.70 m.t. x50 bage) को वर्तमान बाजार दर से सम्बधित फर्म/कम्पनी/सहकारी समिति के माध्यम से को विक्रय किया जाकर राशि अमानतन हैड में जमा कोष करायी जावे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति उर्वरक निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा को पालनार्थ भिजवायी जावे। पालना में की गयी कार्यवाही से न्यायालय हाजा को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.9.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

सदस्यो के साथ मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई। फर्म के प्रतिनिधी से चर्चा कर